

जिला खनन कार्यालय, भागलपुर।

पत्रांक-...../एम0, भागलपुर, दिनांक :-/...../2023

प्रेषित,

सावित्री देवी,
बथानी, पोस्ट-चकनथु, जिला-भागलपुर
Mob No: +91- 8210663823, 9472156351
Email Id: savitritender2015@rediffmail.com

विषय :- भागलपुर जिलान्तर्गत गेरुआ यूनिट-03 की बन्दोबस्ती हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश (LoI) निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गेरुआ यूनिट-03 की ई-नीलामी द्वारा बन्दोबस्ती में सावित्री देवी, बथानी, पोस्ट-चकनथु, जिला-भागलपुर द्वारा उच्चतम बोली की राशि-64,35,000/- (चौसठ लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र की बोली लगाकर नीलामी ली गई है। नीलामी की राशि का 25% प्रतिभूति राशि (अग्रधन की राशि को समायोजित करते हुए) कुल-1,46,250/- (एक लाख छियालीस हजार दो सौ पचास) रु0 मात्र जमा करने के उपरांत सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता है।

1. बालू खनन क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	नदी, घाट का नाम	Mining Block Name & Area (Hectare)	GPS CO- ORDINATES LATITUDE & LONGITUDE	
1	<u>गेरुआ यूनिट-03</u> (Total Area 13.00 Ha)	Gerua Block-16 (Area 3.7 Ha)	A	25° 9'22.97"N 87°11'18.19"E
			B	25° 9'22.89"N 87°11'19.81"E
			C	25° 9'31.24"N 87°11'18.18"E
			D	25° 9'39.86"N 87°11'17.63"E
			E	25° 9'39.76"N 87°11'15.19"E
			F	25° 9'33.87"N 87°11'15.19"E
			G	25° 9'26.75"N 87°11'16.42"E
		Gerua Block-17 (Area 1.63 Ha)	A	25° 9'45.02"N 87°11'11.39"E
			B	25° 9'44.40"N 87°11'11.74"E
			C	25° 9'42.47"N 87°11'8.08"E
			D	25° 9'41.46"N 87°11'4.95"E
			E	25° 9'41.55"N 87°11'1.52"E
			F	25° 9'42.16"N 87°10'56.41"E
			G	25° 9'43.56"N 87°10'56.68"E

			H	25° 9'42.81"N 87°11'2.70"E
			I	25° 9'43.33"N 87°11'7.24"E
		Gerua Block-18 (Area 2.54 Ha)	A	25°10'3.41"N 87°10'44.65"E
			B	25°10'2.53"N 87°10'45.88"E
			C	25°10'15.22"N 87°10'54.94"E
			D	25°10'17.46"N 87°10'55.79"E
			E	25°10'17.62"N 87°10'55.02"E
			F	25°10'6.73"N 87°10'46.31"E
		Gerua Block-19 (Area 3.83 Ha)	A	25°10'40.38"N 87°11'2.81"E
			B	25°10'39.24"N 87°11'4.56"E
			C	25°10'46.45"N 87°11'11.27"E
			D	25°10'51.27"N 87°11'15.40"E
			E	25°10'56.27"N 87°11'16.11"E
			F	25°10'59.17"N 87°11'15.46"E
			G	25°10'58.59"N 87°11'13.94"E
			H	25°10'57.27"N 87°11'14.33"E
			I	25°10'53.07"N 87°11'13.54"E
			J	25°10'49.60"N 87°11'11.61"E
			K	25°10'45.01"N 87°11'7.55"E
		Gerua Block-20 (Area 1.30 Ha)	A	25°11'6.32"N 87°11'17.06"E
			B	25°11'11.32"N 87°11'19.76"E
			C	25°11'11.91"N 87°11'18.56"E
			D	25°11'14.38"N 87°11'17.78"E
			E	25°11'9.16"N 87°11'15.83"E
			F	25°11'7.21"N 87°11'15.83"E
2	वन क्षेत्र से दूरी	30.00 KM		
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी	9.20 KM		
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति	लागू नहीं		
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी	लागू नहीं		
6	खनन योग्य मात्रा	78,000 Cubic Meter		

2. भुगतान की शर्तें:-

- (i) नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।

Handwritten signature

- (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त(50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त(25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त(25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

- GST का भुगतान:**—बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, ^{जिला खनन कार्यालय, बल्लूघाट} ~~बल्लूघाट~~ जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- आयकर/अन्य करों का भुगतान:**—बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिमार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, बाँका द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- जिला खनिज फाउण्डेशन:**—सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला खनिज फाउण्डेशन, भागलपुर के पदनाम से भुगतये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार करना होगा।
- वैधानिक अनापत्ति:**—बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-
- खनन योजना:**—खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेन्ट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

[Handwritten signature]

- ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति:**—सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- iii. **जल एवं वायु सहमति:**—पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:**—खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्यवाई की जाएगी।
- vi. **Wildlife Clearance requirement for Gerua River Unit-3:** गेरुआ नदी के यूनिट-3 (माईनिंग ब्लॉक- 16, 17, 18, 19 एवं 20) के सन्दर्भ में NBWL/SCNBWL से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। ई-निविदा के माध्यम से सफल बन्दोबस्तधारी NBWL/SCNBWL से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर गेरुआ नदी के यूनिट-3 (माईनिंग ब्लॉक- 16, 17, 18, 19 एवं 20) से बालू खनन कार्य नहीं कर सकेंगे।
7. **बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना:**
 - i. सफल डाकवक्ताद्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
 - ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के निम्नलिखित शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 - (i) निविदादाता/सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से किया गया पत्राचार ही मान्य होगा।
 - (ii) बन्दोबस्ती लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्ता को उपलब्ध

Handwritten signature/initials

- कराना एवं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड/उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (iv) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (v) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- (vi) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बंदोबस्तधारी की होगी।
- (vii) बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
- (viii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभका अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।
- (x) बालू बंदोबस्तधारी को बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधों पर निर्मित प्रतिबंधित सड़क या परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सड़क/पुल-पुलिया से नहीं करना है।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू का परिवहन बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं इस संबंध में अन्य अधिसूचित नियम के तहत किया जाएगा। अनियमितता की स्थिति में उपरोक्त नियमावली के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

20/-

खनिज विकास पदाधिकारी,
भागलपुर।

ज्ञापांक :- 1065/एम0, भागलपुर, दिनांक :- 25/5/2023

प्रतिलिपि:-अपर समाहर्ता, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, भागलपुर अंचल भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Kumari
25/05/2023
खनिज विकास पदाधिकारी,
भागलपुर।